रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092024-257477
CG-DL-E-25092024-257477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 735] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , सितम्बर 19, 2024/भाद्र 28, 1946 |
| No. 735] | NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2024/Bhadra 28, 1946 |


## भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2024

**फा.सं. 01/एसपी-02/एसएंडएस/अधिसूचनासंदूषक/2021-22** - खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में और संशोधन के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (i) और (j) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

आपत्ति अथवा

सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।

आपत्तियां अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त किए जाएँगे, उन पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप विनियम**

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2024 कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में, -

(1) "धातु संदूषक" से संबंधित विनियम 2.1 में,

(क) उप-विनियम 2.1.1 में, खंड 2 में, तालिका में,

(i) लेड से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (2) में, "दालें" शब्द के स्थान पर "दालें और दालों का आटा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;

(ii) आर्सेनिक से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, कॉलम (2) में, "खाद्य वसा और तेल (वे खाद्य वसा और तेल जो विशिष्ट मानकों के अंतर्गत नहीं आते)" शब्दों के स्थान पर, "खाद्य वसा और तेल (वे खाद्य वसा और तेल जो विशिष्ट मानकों के अंतर्गत नहीं आते)* " शब्द और आकृति प्रतिस्थापित किए जाएँगे;

(iii) तालिका के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"*नोट- मछली के तेल के संबंध में, एमएल अकार्बनिक आर्सेनिक (एज़-इन) के लिए है। विभिन्न देश या आयातक मछली के तेल में कुल आर्सेनिक (एज़-टोट) का विश्लेषण करके मछली के तेल में एज़-इन के लिए एमएल का प्रयोग करते समय अपनी स्वयं की स्क्रीनिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि एज़-इन में एज़-टोट सांद्रता एमएल से नीचे है, तो किसी और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, और नमूने को एमएल के अनुरूप माना जाता है। यदि एज़-इन में एज़-टोट सांद्रता एमएल से ऊपर है, तो यह पता करने के लिए अनुवर्ती परीक्षण किया जाएगा कि एज़-इन सांद्रता एमएल से ऊपर है या नहीं।";

(iv) कैडमियम से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, कॉलम (2) में, "दाल, सूखी सोयाबीन को छोड़कर" शब्दों के स्थान पर "दालें और दालों का आटा, सूखी सोयाबीन को छोड़कर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

(2) "फसल संदूषक और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ" से संबंधित विनियम 2.2 में, -

(क) उप-विनियम 2.2.1 में, खंड 1 में, तालिका में,-

(i) कुल एफ्लाटॉक्सिन्स से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (3) में, "तिलहन या तेल: आगे की प्रक्रिया के लिए तिलहन, खाने के लिए तैयार" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| खाद्य पदार्थ |
| --- |
| (3) |
| "<br>• आगे की प्रक्रिया के लिए तेल और तिलहन<br>• खाने के लिए तैयार तिलहन "; |

(ii) एफ्लाटॉक्सिन बी1 से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम (3) में, "तिलहन या तेल: आगे की प्रक्रिया के लिए तिलहन, खाने के लिए तैयार" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

| खाद्य पदार्थ |
|---|
| (3) |
| “<br>• आगे की प्रक्रिया के लिए तेल और तिलहन<br>• खाने के लिए तैयार तिलहन ”; |

(ख) उप-विनियम 2.2.1 में, खंड 2 में, तालिका में, क्रम संख्या 4 पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| **क्रम सं.** | **प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के नाम** | **खाद्य पदार्थ** | **अधिकतम मात्रा (ppm)** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “4 | सफ़रोल | ऐसे बीवरेज और खाद्य पदार्थ जिनमें संघटक के रूप में जावित्री और/या जायफल गिरी हो | 10” |

(3) विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.2 में,-

(i) खंड (1) हटा दिया जाएगा;

(ii) खंड (4) में, -

(क) ट्राइमेथोप्रिम से संबंधित क्रम संख्या 45 के सामने, कॉलम (3) और (4) में मौजूदा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

| खाद्य | सह्य मात्रा (एमआरएल)मि.ग्रा./कि.ग्रा. |
|---|---|
| कॉलम (3) | Column (4) |
| “श्रिम्प, प्रॉन या किसी अन्य प्रकार की मछली और मत्स्य उत्पाद सहित समुद्री खाद्य पदार्थ | 0.05” |

(ख) क्रम संख्या 49 (ज़िंक बैसिट्रेसिन (न्यूनतम 60IU/mg शुष्क पदार्थ) के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

| क्रम सं. | पशु चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किए जाने वाले | खाद्य | सह्य मात्रा मि.ग्रा./कि.ग्रा. |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | रोगाणुरोधी और अन्य दवाएँ | | |
| कॉलम (1) | कॉलम (2) | कॉलम (3) | कॉलम (4) |
| “50 | ऑक्सोलिनिक अम्ल | श्रिम्प, प्रॉन या किसी अन्य प्रकार की मछली और मत्स्य उत्पाद सहित समुद्री खाद्य पदार्थ | 0.3” |

जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./504/2024-25]

***नोट:*** मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या मानक/एसपी/(संदूषक)/अधिसूचना-1/एफएसएसएआई-2018, दिनांक 7 अगस्त, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था II

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**

**Notification**

New Delhi, the 18th September, 2024

**F.No.01/SP-02/S&S/NotificationContaminants/2021-22.-** The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (i) and (j) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections and suggestions, which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

**Draft Regulations**

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2024.
2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011,-

(1) in regulation 2.1 relating to “METAL CONTAMINANTS”,

1. in sub-regulation 2.1.1, in clause 2, in the Table,

(i) against serial number 1 relating to Lead, in Column (2), for the words "Pulses", the words "Pulses and Pulse flours" shall be substituted;

(ii)against serial number 3 relating to Arsenic, in Column (2), for the words "Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual standards)", the words and figure "Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual standards)* " shall be substituted;

(iii) at the end of the table, following shall be inserted, namely:-
**"*Note-** For fish oils, the ML is for inorganic arsenic (As-in). Countries or importers may decide to use their own screening when applying the ML for As-in in fish oils by analyzing total arsenic (As-tot) in fish oils. If the As-tot concentration is below the ML for As-in, no further testing is required, and the sample is determined to be compliant with the ML. If the As-tot concentration is above the ML for As-in, follow-up testing shall be conducted to determine if the As-in concentration is above the ML.";

(iv) against serial number 5 relating to Cadmium, in Column (2), for the words "Pulses, excluding soybean dry", the words "Pulses and Pulse flours, excluding soybean dry" shall be substituted.

(2) in regulation 2.2 relating to "Crop contaminants and naturally occurring toxic substances",-
(a) in sub-regulation 2.2.1, in clause 1, in the Table,-

(i) against serial number 1 relating to Total Aflatoxins, in Column (3), for the words "Oilseeds or oil: Oilseeds for further processing, Ready to eat" the following shall be substituted, namely:-

| Article of the food |
|---|
| (3) |
| "<br>• Oils and Oilseeds for further processing<br>• Ready to eat oilseeds "; |

(ii) against serial number 2 relating to Aflatoxin B1, in Column (3), for the words "Oilseeds or oil: Oilseeds for further processing, Ready to eat", the following shall be substituted, namely:-

| Article of the food |
|---|

| (3) |
|---|
| “<br>• Oils and Oilseeds for further processing<br>• Ready to eat oilseeds”; |

(b) in sub-regulation 2.2.1, in clause 2, in the Table, for serial number 4, the following shall be substituted, namely:-

| **Sl. No.** | **Name of naturally occurring toxic substances (NOTS)** | **Article of food** | **Maximum limits (ppm)** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “4 | Saffrole | Beverages and foods containing mace and/or nutmeg kernel as an ingredient | 10” |

(3) in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.2,-

(i) the clause (1) shall be omitted;

(ii) in the clause (4), -

(a) against the serial number 45 relating to Trimethoprim, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely: -

| Food | Tolerance Limit (MRL) mg/kg |
|---|---|
| Column (3) | Column (4) |
| “Sea foods including shrimps, prawns or any other variety of fish and fishery products | 0.05” |

(b) after the serial number 49 (Zinc Bacitracin (minimum 60IU/mg dried substance)), the following shall be inserted, namely: -

| S. No. | Antimicrobials and other drugs used in | Food | Tolerance limit (mg/Kg) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | veterinary practices | | |
| Column (1) | Column (2) | Column (3) | Column (4) |
| “50 | Oxolinic acid | Sea foods including shrimps, prawns or any other variety of fish and fishery products | 0.3” |

G. KAMALA VARDHANA RAO,Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./504/2024-25]

***Note:*** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended *vide* notification Stds/SP/(Contaminants)/Notification-1/FSSAI-2018, dated 7th August, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.09.25 14:18:52 +05'30'